न्यायालय सहायक कले० / परगनाधिकारी डेरापुर कानपुर (दे०)

नकल आदेश

धारा-143 ज०वि० एव भू०सु० अधि०

वाद सं०-1

ग्राम- टिकनगांव- पर० व तह० डेरापुर

चन्द्रभान सिंह मेमोरियल शिक्षण संस्थान बनाम नगर पंचायत झींझक

न्यायालय सहायक कलेक्टर प्र० श्रेणी/परगनाधिकारी डेरापुर जनपद कानपुर देहात कानपुर (दे०)

वाद सं०- 1

धारा- 143ज० वि० एवं भू०सु० अधिनियम
ग्राम:- टिकनगांव परगना व तहसील-
डेरापुर जनपद कानपुर देहात।

चन्द्रभान सिंह मेमोरियल शिक्षण संस्थान प्रबन्धक/ सचिव शशिबाला सिंह

बनाम

नगर पंचायत झींझक

निर्णय
==========

शशिबाला सिंह पत्नी सन्तोष कुमार सिंह निवासिनी नगर पल झींझक
ग्राम टिकनगांव की खाता सं0116 गाटा सं0 395 रकबा 0.219हे0 व 326 रकबा
0.227हे0 कुल 2किता रकबा 0.446हे0 भू0रा0 09.75रू0 के 2/3भाग व खाता सं0
276 की गाटा सं0 418 रकबा 0.267हे0 भू0रा0 23.95रू0 के 1/3अंश तथा खाता
सं0 277 गाटा सं0 395मि0 रकबा 2.258हे0 भू0रा0 98.10रू0 के 5/9भाग पर
इस आशय से प्रस्तुत किया कि उपरोक्त भूमि की वादिनी संक्रमणीय भूमिधर काबिज
दाखिल है। उक्त भूमि का प्रयोग वर्तमान समय में कृषि उद्यानकरण, पशुपालन जिसमे
मत्स्य पालन व कुक्कुट पालन भी सम्मलित है के प्रयोग में नहीं आ रही है। बल्कि
उक्त शिक्षण संस्थान के भवन व क्रीडास्थल आदि के प्रयोग में आ रही है। इसलिए
उक्त भूमि को वादिनी ने धारा 143 के अन्तर्गत अकृषक घोषित करने की प्रार्थना की
है।

पत्रावली नायब तहसीलदार डेरापुर को जांच हेतु भेजी गई। नायब
तहसीलदार ने अपनी जांच आख्या दि० 2-10-09 के साथ नजरी नक्शा, उद्धरण
खतौनी तथा नियम 135 के निर्धारित प्रारूप पर अपनी सुस्पष्ट आख्या प्रस्तुत की
जो शामिल पत्रावली है।

मैंने पत्रावली का विधिवत अनुशीलन किया। पत्रावली पर उपलब्ध क्षेत्रीय
लेखपाल, राजस्व निरीक्षक झींझक व नायब तहसीलदार डेरापुर की आख्या तथा
नायब तहसीलदार डेरापुर द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा व नियम 135 का अनुशीलन
किया। नायब तहसीलदार डेरापुर ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि ग्राम -
टिकनगांव की खाता सं0116 गाटा सं0 395 र[illegible]ा 0.219हे0 व 396 रकबा 0.227हे
कुल 2किता रकबा 0.416हे0 तथा खाता सं0 276 गाटा सं0 418 रकबा 0.801हे0
का 1/3भाग कुल रकबा 0.267हे0 खाता सं0 277 गाटा सं0 399मि0 रकबा 12.2
58हे0 का 5/9भाग रकबा 1.254हे0 आवेदिका के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर
दर्ज है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है बल्कि विद्यालय का भवन चार-
दीवारी गाटा सं0 399मि0 पर बनी हुई है। व गाटा सं0 395-96 क्रीडास्थल के
प्रयोग में आ रही है। अन्त में अकृषक घोषित करने की संस्तुति की है।

उपरोक्त विवेचना से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि विवादित भूमि
को अकृषक घोषित करने में कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। नायब तहसीलदार द्वारा
प्रस्तुत आख्या दि० 2-10-09 व नियम 135 के आधार पर आख्या स्वीकार
की जाती है। नायब तहसीलदार की आख्या व नजरी नक्शा व नियम 135 आदेश
का एक अभिन्न अंग रहेगा।

अतः ग्राम टिकनगांव की खाता सं0 116 गाटा सं0 395 रकबा 0.219
हे0 गाटा सं0 396 रकबा 0.227हे0 कुल 2किता रकबा 0.476हे0 व खाता सं0 276
गाटा 418 रकबा 0.267हे0 व खाता [illegible] गाटा सं0 399मि0 रकबा 1.254हे0
अकृषक घोषित की जाती है। तदानुसार परवाना अमल दरामद जारी हो। बाद आ0
कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

3/x/09